

प्रेषक

रजिस्ट्रींग अथोरिटी-एवं-
उप मण्डल अधिकारी (ना0),
बादशाहपुर ।

सेवा में

परिवहन आयुक्त,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

क्रमांक 37/MRL दिनांक 30/01/2024

विशय :-

नई सीरिज चालू करने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपको इस अनुरोध के साथ सूचित किया जाता है कि HR-98 N सीरिज समाप्त होने वाली है। सरकार के पत्र क्रमांक 10549-53/AT-1/ST-I दिनांक 18.02.2021 की हिदायत अनुसार चालू की जानी है। सीरिज HR-98 P सरकार की हिदायत अनुसार दिनांक 01.02.2024 को शुरू की जाएगी।

यह आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

रजिस्ट्रींग अथोरिटी-एवं-
उप मण्डल अधिकारी (ना0),
बादशाहपुर ।

पृ0 क्रमांक

दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

- 1 उपायुक्त महोदय, गुरुग्राम ।
- 2 जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, गुरुग्राम ।

रजिस्ट्रींग अथोरिटी-एवं-
उप मण्डल अधिकारी (ना0),
बादशाहपुर ।

कार्यालय रजिस्ट्रींग अथोरिटी-एवं-उप मण्डल अधिकारी (ना0),
बादशाहपुर ।

नोटिस

सभी को सूचित किया जाता है कि HR-98 N सीरिज समाप्त होने वाली है। इसलिए नई सीरिज HR-98 P सरकार की हिदायत अनुसार चालू की जानी है। जो दिनांक 01.02.2024 को शुरू की जा रही है। जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त सीरिज में नम्बर लेना है तो वह वाहन रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी कागजात पूरे कराकर (बोली लगाकर/auction) HR-98 P सीरिज में नम्बर ले सकता है। जिस किसी व्यक्ति/संस्था को Choice Number लेना है वह स्वयं उपस्थित होकर अथवा Authorized Signatory के माध्यम से फाईल भिजवाएं।

दिनांक : 30/01/2024

रजिस्ट्रींग अथोरिटी-एवं-
उप मण्डल अधिकारी (ना0),
बादशाहपुर